

पत्रांक:-6/बी3-101/2017 श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-12/2009-14226 दिनांक-21.12.2010 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारियों को 01 नवम्बर, 2018 के प्रभाव से आतिथ्य भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या:- 6/बी3-101/2017 श्र०सं०.

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले०एवं ह०), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव ।


ज्ञाप संख्या:- 6/बी3-101/2017 श्र०सं०.

7886

पटना, दिनांक-

6-12-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सभी पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण/सभी पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव/बजट शाखा, वित्त विभाग/स्थापना शाखा, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/व्यय विवरणी कोषांग, बजट शाखा, प्रशाखा-06 श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(के० सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव ।